

(12P)

अनंतिम पंजीकरण
PROVISIONAL REGISTRATION

आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित विनिर्माण की यदों कार्यकलापों हेतु जबु उद्योग/लचु सेवा एवं व्यापार उद्यम इकाई के रूप में अनंतिम पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

The application is accepted for Provisional Registration as a SSIS/SSSBE Unit for the manufacture of items/activities as stated in the application form.

अनंतिम पंजीकरण संख्या
Provisional Registration No.

31510110137469

निर्गम की तिथि

11/01/912006

Date of Issue :

इकाई की श्रेणी (क्रम संख्या-3)

Category of unit (S. No. 3) SSC



हस्ताक्षर (Signature)

Functional Manager (F.I.)

जिला उद्योग संस्कृति

पंजीकरण प्राविकारी District Industries Centre

Name and designation of Registering Authority

[Signature]

- प्रष्टाकृत आवेदन-प्रपत्र पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अनिवार्य भाग है।
The endorsed application form is a part of the certificate of registration.
 - अनंतिम प्रबालान-पत्र निर्गम तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
The provisional registration is valid for a period of 5 years from the date of issue.
 - अनंतिम पंजीकरण वैधता अवधि की समित या उत्पादन के आरम्भ तिथि, जो भी पहले हो, की स्वतः समाप्त हो जाएगा।
The provisional registration will automatically lapse at the end of the validity period or the date of commencement of production, whichever is earlier.
 - यदि आवेदक इकाई वैधता अवधि के अंतर्गत इकाई स्थापित नहीं कर पाता है तो इकाई/आवेदक मानक प्रक्रिया अपनाते हुए अनंतिम पंजीकरण हेतु पुनः आवेदन कर सकता है।
If an applicant/unit is unable to set up the unit within the validity period, the applicant/unit has the option to apply afresh for provisional registration using standard procedure.
 - अनंतिम पंजीकरण इकाई को पूर्व उत्पादन अवस्था में अपेक्षित सभी सुविधाएं/अनुमति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है।
The provisional registration is given to enable the unit to obtain all facilities/clearance etc. required in the pre-production stage.
 - पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण प्राविकारी द्वारा लगाई जाने वाली किसी/सभी शर्तों के वधीन है।
The provisional registration is subject to any or all conditions that may be imposed by the Registering Authority.
- The unit/Entrepreneur has to obtain Noc from Pollution Control Board, Port Blair before commencement of Production and applying for Permanent Registration.*